न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[प्रार्थ]ना-पत्र संख्या :-106 / 2021 दायर दिनांक: 03.08.2021
CCMS NO:- 2021/220
पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. सुगना बावरिया पुत्री हजारीलाल जाति बावरिया निवासी ज्योती नगर बालमिकी कच्ची बस्ती एल. आई.सी. ऑफिस के सामने जयपुर हाल निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.

—प्रार्थीया—

बनाम

1. श्रीमति कलावती पत्नि गोपाल जाति मीणा निवासी रजतगृह कॉलोनी नैनवॉ रोड, नं. 09 बून्दी, जिला बून्दी राज0
2. ताराचन्द आ0 कपूरचन्द्र जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 10 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
3. हनुमान आ0 कपूरचन्द्र जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 10 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
4. महेन्द्र आ0 कपूरचन्द्र जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 10 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
5. सीता आ0 कपूरचन्द्र जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 10 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
6. विमला पुत्री कपूरचन्द्र पत्नि राजमल जैन जाति महाजन निवासी देई, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
7. बाबूलाल आ0 गाडमल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 10 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
8. कैलाशी पुत्री गाडमल पत्नि पदम जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 5 नैनवॉ, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
9. प्रेमबाई पुत्री गाडमल पत्नि चौथमल जाति महाजन निवासी नैनवॉ हाल निवासी वार्ड न. 7 देई, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
10. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
11. श्रीमान शाखा प्रंबधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा बून्दी राज0

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति—
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका एवं श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 15.03.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि कस्बा नैनवॉ प्रथम की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 725 के खसरा संख्या 487 रकबा 4.6113 हेक्टर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थिया ने खातेदार शिवजीलाल आत्मज रामकुंवार जाति बलाई निवासी नैनवॉ तहसील नैनवॉ से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पृथक पृथक क्रमशः दिनांक 09 / 09 / 2020 को 10 बीघा भूमि पूर्वी और की दिनांक 09 / 09 / 2020 को 10 बीघा भूमि पश्चिम की और की दिनांक 16 / 09 / 2020 को 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि मध्य की इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि 28 बीघा 10 बिस्वा को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। यह कि उक्त भूमि पर आने जाने पर एक मात्र रास्ता प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 9 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 482 में होकर आम रास्ता भावपुरा रोड पर पहुंचता है। पूर्व खातेदार इस प्रकार से उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के रूप में रास्ते का लगातार उपयोग बदस्तूर करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि कुछ दिनों पूर्व प्रार्थियों के माता पिता उक्त भूमि पर रहने के लिए मकान व कृषि यंत्रों को रखने के लि[ए] ... भूमि पर मकान व कमरे का निर्माण छत लेवल होता देख प्रत्यार्थीगण 1 लग[ायत] ... के माता पिता रंजिश रखने लगे और प्रार्थियों को नुकसान पहुचाने के लिए दिनांक ... को अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 482 को जो काफी ... भी कृषि काश्त नही की उक्त भूमि को हकवा कर ... मेडिकर तारबंदी कर प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया, प्रार्थीया के माता पिता ने रास्ता बंद नही करने का काफी तकाजा किया किन्तु प्रत्यार्थीगण नही माने व रास्ता [बंद] कर दिया और कहा कि तुझसे जो कर ले। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये रास्तें को बहाल करवा कर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये इस आश्य का अंकन समस्त राजस्व रिकोर्ड व नक्शा ट्रेश में करवाये। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

कि प्रार्थीया रास्ते में आने वाली प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 9 की भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड के राजस्व कस्बा नैनवों प्रथम के जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 1031 आराजी खसरा नम्बर 6535/487 रकबा 1.1690 हैक्ट., खसरा नम्बर 6539/6536 रकबा 1.6180 हैक्ट., एवं खसरा नम्बर 6540/6536 रकबा 1.3743 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 4.6113 हैक्ट. भूमि सुगना पुत्री हजारीलाल कौम बागरिया रिकॉर्ड दर्ज है। यह कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान में जाने हेतु कोई भी रास्ता रिकॉर्ड दर्ज नही है। यह कि मौके पर भावपुरा जाने वाले रास्ते खसरा नम्बर 507 व मूल खसरा नम्बर 487 के मध्य खसरा नम्बर 482 कपुरचन्द, गाडमल पि0 नीमलाल हि0 2/3 जाती महाजन, कलावती पत्नी गोपाललाल हि0 1/3 जाति मीणा रिकार्ड दर्ज है जिसमें से रकबा 1–0032 हैक्टेयर किस्म बा0 3 में से 14 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडाई के हिसाब से 28 गट्ठा यानि 1.5 (डेढ) बिस्वा भूमि रास्ता हेतु काम में आयेगी। यह कि प्रार्थी के पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से प्रस्तावित कर दर्शाया हुआ है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । प्रार्थीया को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीया ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम नैनवॉं प्रथम की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रार्थिया की कृषि भूमि खाता संख्या 725 के खसरा संख्या 487 भूमि पर आने जाने के लिये भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 1–0032 हैक्टेयर किस्म बा0 3 में से 14 गट्ठा लम्बा तथा 2 गट्ठा चौडाई के हिसाब से 28 गट्ठा यानि 1.5 (डेढ) बिस्वा भूमि पर रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner